एमएस. गौरव डिस्ट्रीब्यूटर्स (पी) लिमिटेड

बनाम

सीमा शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली

11 अगस्त 2004

[एस.एन. वरियावा और अरिजीत पसायत, जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-धारा 20, परंतुक-बांड में निर्यात किए गए माल का पुनः आयात-उस पर सीमा शुल्क लगाना-धारा के परंतुक के तहत छूट की मांग-नीचे के न्यायालयों द्वारा अस्वीकृत-याचना कि शुल्क का लगाया जाना अभिव्यक्ति "माल" के रूप में उचित नहीं है बांड में निर्यात किया गया" उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान को कवर नहीं करेगा क्योंकि यह केवल सीमा शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान को संदर्भित करता है - अपील पर, अभिनिर्धारित: शुल्क सही ढंग से लगाया गया - शब्दों में उत्पाद शुल्क बांड के साथ-साथ सीमा शुल्क बांड पर निर्यात किए गए सामान भी शामिल हैं। किसी भी प्रतिबंधात्मक शब्दों के अभाव में अभिव्यक्ति को इसका पूर्ण अर्थ अवश्य दिया जाना चाहिए।

क़ानून की व्याख्या-यदि क़ानून स्पष्ट और असंदिग्ध है तो उसके शब्दों को प्रभाव अवश्य दिया जाना चाहिए।

प्रश्नगत माल बांड के तहत निर्यात किया गया था, और बाद में अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदा गया था और मार्च, 1995 में भारत में फिर से आयात किया गया था। सहायक आयुक्त ने माना कि चूंकि माल बांड में निर्यात किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता इसी दर पर जिसके अधीन समान प्रकार और मूल्य की वस्तुएं होंगी, सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। अपीलकर्ताओं ने एक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 20 के परंतुक के लाभ का दावा किया। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए शुल्क लगाने के फैसले को बरकरार रखा कि अपीलकर्ता धारा 20 के परंतुक के अंतर्गत नहीं आते हैं।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति"बांड में निर्यात किए गए सामान" को सीमान शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, न कि उत्पाद शुल्क बांड के तहत।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

I. यह नहीं कहा जा सकता कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 20, क्या यह उस समय कायम है जब माल को फिर से आयात किया गया था, केवल इसका उल्लेख किया गया है।

"सीमा शुल्क बांड के तहत निर्यात किया गया सामान"। धारा 20 के परंतुक के उप-खंड (सी) (ii) और (सी) (iii) से संकेत मिलता है कि जो सामान बांड में निर्यात किया गया था, वह स्वदेशी सामग्री के उपयोग के साथ या उसके बिना स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था। स्थानीय वस्तुओं के निर्यात पर कोई सीमा शुल्क देय नहीं है। इस प्रकार, निर्यात के समय ऐसी वस्तुओं के संबंध में कोई सीमा शुल्क बंधन नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं का निर्यात केवल उत्पाद शुल्क बांड पर किया जाएगा। इस प्रकार, धारा 20 में "बांड में निर्यात किए गए सामान" शब्द, जैसा कि तब था, में स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क बांड पर निर्यात किए गए सामान शामिल थे। यदि क़ानून स्पष्ट और असंदिग्ध है तो उसके शब्दों का प्रभाव अवश्य दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में चूंकि धारा 20 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और धारा के शब्द स्पष्ट हैं, न्यायालय इसकी व्याख्या करने के लिए बाध्य है।[460-डी-जी]

2.1. विधानमंडल की मंशा सीमा शुल्क बांड या उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए माल को शामिल करना था। यदि विधायिका इन शब्दों को केवल सीमा शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए माल तक ही सीमित रखना चाहती थी तो उन्हें विशेष रूप से ऐसा कहना पड़ता। किसी भी प्रतिबंधात्मक शब्द के अभाव में अभिव्यक्ति को उसका पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए और इसमें सीमा शुल्क बांड या उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किया गया सामान शामिल होना चाहिए। [461-बी-सी]

2.2. विचाराधीन धारा 20 जून 1994 में लागू हुई और 26 मई 1995 तक लागू रही। पिछली धारा में स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान शामिल थे। जब विधानमंडल धारा बदल रहा था, यदि वे पहले की स्थिति से हटना चाहते थे तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में ऐसा करना होगा। 26 मई, 1995 से धारा 20 को फिर से बदल दिया गया। धारा 20 का परंतुक हटा दिया गया। हालाँकि, एक अधिसूचना द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया था कि यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माल को "बांड में निर्यात" किया गया था, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, का भुगतान करना होगा। विचाराधीन धारा 20 के पहले और बाद में स्थिति यह थी कि उत्पाद शुल्क बांड के तहत भी निर्यात किए गए सामान को कवर किया गया था, यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान विधानमंडल ने प्रस्थान किया था। [461-डी-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8683/2001

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के ए. संख्या सी/235/2001-एच के निर्णय और आदेश दिनांक 24.8.2001 से।

अपीलकर्ता की ओर से ए. के. गांगुली, विनय गर्ग और सुश्री दीपम गर्ग।

प्रतिवादियों की ओर से अनूप चौधरी, संजय ग्रोवर, पी. परमेश्वरन, रोहित सिंह और बी. कृष्णा प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय एस.एन. वरियावा, जे. द्वारा सुनाया गया।

यह अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) के 24 अगस्त, 2001 के फैसले के खिलाफ है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

एक मैसर्स. एस के एफ बियरिंग (1) लिमिटेड बॉम्बे ने बांड के तहत शिपिंग बिल संख्या 481120 दिनांक 22 अगस्त, 1994, 494274 दिनांक 9 नवंबर, 1994, 503510 दिनांक 9 दिसंबर, 1994 और 506157 दिनांक 19 दिसंबर, 1994 के, डी बॉल बेयरिंग निर्यात किया था। इन बॉल बेयरिंग को बाद में अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदा गया और दो प्रविष्टियों के बिल दिनांक 14 मार्च, 1995 के माध्यम से भारत में पुनः आयात किया गया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जो सामान आयात किया गया है वह वही है जो एसकेएफ बियरिंग (1) लिमिटेड द्वारा निर्यात किया गया था। अपीलकर्ताओं ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962, की धारा 20 के प्रावधानों के लाभ का दावा किया है। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

धारा 20- माल का पुन: आयात- यदि माल भारत से निर्यात के पश्चात भारत में आयात किया जाता है, तो ऐसे माल पर शुल्क लगेगा और वह ऐसी शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हो, के अधीन इसी किस्म और

इसी मूल्य का उसके आयात पर होता है। बशर्ते कि यदि ऐसा आयात (बांड में निर्यात किए गए माल के आयात या मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित माल के आयात के अलावा) ऐसे माल के निर्यात के बाद तीन साल के भीतर होता है और सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर की संतुष्टि के लिए यह दिखाया गया है कि यह माल वही है जो निर्यात किया गया था, माल को स्वीकार किया जा सकता है-

किसी भी मामले में जहां माल के निर्यात के समय, संघ द्वारा लगाए गए किसी भी सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। या दोनों को वापस लेने की अनुमति दी गई थी, तो सीमा शुल्क के भुगतान पर ऐसी कमी की राशि के बराबर।

बी) किसी भी मामले में जहां माल के निर्यात के समय, किसी राज्य द्वारा लगाए गए किसी उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति दी गई थी, माल के आयात के समय और स्थान पर लगाए गए ऐसे उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क के भुगतान पर;

ग) किसी अन्य मामले में, शुल्क के भुगतान के बिना:

आगे प्रदान किया गया.....

सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने माना कि चूंकि सामान बांड में निर्यात किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता उसी दर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिस दर पर समान प्रकार और मूल्य

के सामान लागू होंगे। सीईजीएटी ने निर्णय को बरकरार रखा हैऔर माना है कि अपीलकर्ता धारा 20 के परंतुक के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि माल बांड में निर्यात किया गया था।

श्री गांगुली ने प्रस्तुत किया कि धारा 20 सीमा शुल्क अधिनियम में प्रकट होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क अधिनियम सीमा शुल्क से संबंधित मामलों से संबंधित है और इसलिए जब धारा "बांड में निर्यात किए गए सामान" शब्दों का उपयोग करती है तो यह आवश्यक रूप से उन सामानों को संदर्भित करता है जो सीमा शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किया गया माल धारा 20 में "बांड में निर्यात किए गए सामान" शब्दों के अंतर्गत नहीं आएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि व्याख्या के सिद्धांत में "बांड में निर्यात किया गया" शब्द को सीमा शुल्क के तहत निर्यात किए गए माल तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। श्री गांगुली ने आगे कहा कि धारा 20 का परंतुक उत्पाद शुल्क को संदर्भित करता है। उन्होंने कहा कि जहां भी विधायिका उत्पाद शुल्क का उल्लेख करना चाहती थी उसने विशेष रूप से ऐसा कहा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विधानमंडल ने जानबूझकर "उत्पाद शुल्क बांड में निर्यात किए गए सामान" शब्दों का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि वे चाहते थे कि उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान पर परंतुक लागू हो।

अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने 1979 की रिट याचिका संख्या 20 में मद्रास उच्च न्यायालय के 18 मार्च, 1983 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 20 की व्याख्या की गई है। उस समय धारा 20 इस प्रकार है:

> "धारा 20. भारत में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं का पुनः आयात (1) यदि भारत में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं को वहां से निर्यात के बाद भारत में आयात किया जाता है, तो ऐसे सामान शुल्क के लिए उत्तरदायी होंगे और सभी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होंगे, यदि कोई भी, जिसके समान प्रकार और मूल्य का सामान जो इस प्रकार उत्पादित या निर्मित नहीं किया गया है, उसके आयात पर उत्तरदायी या अधीन है:
>
> बशर्ते कि यदि ऐसा आयात, मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित माल के आयात के अलावा, ऐसे माल के निर्यात के बाद तीन साल के भीतर होता है और यह सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि सामान वही हैं जो निर्यात किया गया था, माल को स्वीकार किया जा सकता है-

क) किसी भी मामले में जहां माल के निर्यात के समय, संघ द्वारा लगाए गए किसी भी सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क की कमी या दोनों को सीमा शुल्क के बराबर भुगतान पर अनुमति दी गई थी ऐसी कमी की राशि;

बी) किसी भी मामले में जहां माल के निर्यात के समय, किसी राज्य द्वारा लगाए गए किसी भी उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति दी गई थी, ऐसे उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क के भुगतान पर माल के आयात के समय और स्थान पर लगाया जाने वाला;

ग) किसी भी मामले में जहां माल बांड बिना भुगतान के निर्यात किया गया था-

(i) माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली आयातित सामग्री, यदि कोई हो, पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क, या

(ii) माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली स्वदेशी सामग्री, यदि कोई हो, पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क या

(iii) माल पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो।

कुल राशि के बराबर सीमा शुल्क के भुगतान पर ऐसे सभी कर्तव्यों की गणना उस समय प्रचलित दरों पर की जाती है और माल के आयात का स्थान;

डी) किसी अन्य मामले में, शुल्क के भुगतान के बिना।

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तो वह प्रत्येक मामले में आदेश द्वारा, तीन साल की उपरोक्त अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है, जो वह उचित समझे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए माल को भारत में उत्पादित या निर्मित माना जाएगा, यदि माल के उत्पादन या निर्माण की कुल लागत का कम से कम पच्चीस प्रतिशत भारत में खर्च किया गया हो।

स्पष्टीकरण 1.- जहां मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित किसी भी सामान के संबंध में, इस उप-धारा के तहत लगाया जाने वाला कोई भी शुल्क अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है, तो ऐसा शुल्क उन दरों में से उच्चतम पर लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2. इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मुक्त ई व्यापार क्षेत्र" का वही अर्थ है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में है। ।" [जोर दिया गया]

मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम अलग-अलग थे। यह माना गया कि सीमा शुल्क अधिनियम सीमा शुल्क के आरोपण और संग्रह से संबंधित है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम उत्पाद शुल्क और नमक

के कर्तव्यों से संबंधित है। यह माना गया कि शब्द "बांड में निर्यात किया गया सामान" सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 20 में आया है और इसलिए, उत्पाद शुल्क बांड को भी शामिल करने के लिए उन्हें विस्तारित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। यह माना गया कि जैसा कि अनुभाग सीमा शुल्क अधिनियम में प्रकट होता है, अभिव्यक्ति का अर्थ "बंधन में" केवल सीमा शुल्क बांड तक ही सीमित होना चाहिए। यह माना गया कि क़ानून की व्याख्या के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि "किसी विशेष क़ानून में" शब्दों का निर्वचन और व्याख्या केवल उस क़ानून के संदर्भ में की जानी चाहिए, जब तक कि कोई अलग इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया गया हो। यह माना गया कि क़ानून किसी भी आर्थिक बोझ को सख्त निर्माण के नियमों के अधीन किया जाना चाहिए और जब तक क़ानून की भाषा स्पष्ट रूप से कोई दायित्व नहीं लगाती है, तब तक किसी विशेष संव्यवहार पर कर लगाने के लिए भाषा पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

श्री गांगुली ने प्रस्तुत किया कि इस फैसले को मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा था और उसके बाद इस न्यायालय ने डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया।

इस स्तर पर ही यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ एसएलपी को खारिज करना पूरी तरह से अलग आधार

पर था। इस न्यायालय ने एसएलपी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बांड के सटीक अर्थ पर विचार नहीं किया जा रहा है। एसएलपी खारिज कर दी गई क्योंकि अदालत उस मामले के तथ्यों से संतुष्ट थी कि उत्पाद शुल्क पहले ही एकत्र किया जा चुका था और इसलिए, कोई दोहरा कराधान नहीं हो सकता था।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या स्पष्ट रूप से गलत है। जैसा कि ऊपर प्रकाश डाला गया है, धारा 20 के परंतुक के उप-खंड (सी)(ii), जैसा कि तब था, यह निर्धारित करता है कि जहां माल बांड में निर्यात किया गया था, वहां उपयोग की जाने वाली स्वदेशी सामग्री, यदि कोई हो, माल के निर्माण पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

उप-खंड (सी)(iii) में यह भी प्रावधान है कि बांड में निर्यात किए गए माल पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि जो सामान बांड में निर्यात किया गया था, वह स्वदेशी सामग्री के उपयोग के साथ या उसके बिना स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था। स्थानीय वस्तुओं के निर्यात पर कोई सीमा शुल्क देय नहीं है। इस प्रकार, निर्यात के समय ऐसी वस्तुओं के संबंध में कोई सीमा शुल्क बंधन नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं का निर्यात केवल उत्पाद शुल्क बांड पर किया जाएगा। इस प्रकार, धारा 20 में "बांड में निर्यात किए गए सामान" शब्द, जैसा कि तब

था, में स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क बांड पर निर्यात किए गए सामान शामिल थे। हम यह समझने में असफल हैं कि धारा के शब्दों को पढ़े बिना, मद्रास उच्च न्यायालय सामान्य सिद्धांतों के विपरीत कैसे हो सकता है। यह स्थापित विधि है कि यदि क़ानून स्पष्ट और असंदिग्ध है तो उसके शब्दों को अर्थ अवश्य दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम मानते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय गलत है और खारिज किया जाता है।

हम श्री गांगुली के इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि धारा 20, जैसा कि उस समय मौजूद था जब माल को फिर से आयात किया गया था,

> "सीमा शुल्क बांड के तहत निर्यात किया गया सामान" को संदर्भित किया गया है। इस्तेमाल किए गए शब्द हैं "बांड में निर्यात किया गया सामान"। यह सर्वविदित है कि वस्तुओं का निर्यात सीमा शुल्क बांड और उत्पाद शुल्क बांड दोनों के तहत किया जा सकता है। यदि विधायिका का इरादा था कि केवल सीमा शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान को कवर किया जाना था तो उसने विशेष रूप से ऐसा कहा होता। विधानमंडल के मन में यह तथ्य था कि जिस समय माल का निर्यात किया गया था, उस समय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया होगा या उत्पाद शुल्क पर छूट

की अनुमति दी गई होगी। उन्होंने अभी भी बिना किसी योग्यता के "बांड में निर्यात किए गए सामान" शब्दों का इस्तेमाल किया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इरादा सीमा शुल्क बांड या उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए माल को शामिल करने का था। यदि विधायिका इन शब्दों को केवल सीमा शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए माल तक ही सीमित रखना चाहती थी तो उन्हें विशेष रूप से ऐसा कहना पड़ता। किसी भी प्रतिबंधात्मक शब्द के अभाव में अभिव्यक्ति को उसका पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए और इसमें सीमा शुल्क बांड या उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किया गया सामान शामिल होना चाहिए। एक और कारण है कि जो व्याख्या दी गई है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विचाराधीन धारा जून 1994 में लागू हुई और 26 मई 1995 तक लागू रही। इससे पहले धारा 20 की व्याख्या मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, पिछली धारा में स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान शामिल थे। जब विधानमंडल धारा बदल रहा था, यदि वे पहले की स्थिति से हटना चाहते थे तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में ऐसा करना होगा। विस्तृत शब्दों "बांड में निर्यात किए गए

सामान" का उपयोग इंगित करता है कि पहले की स्थिति से नहीं हटाया गया था। यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 1995 से धारा 20 को फिर से बदल दिया गया। धारा 20 का परंतुक हटा दिया गया। हालाँकि, एक अधिसूचना द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया था कि यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माल को "बांड में निर्यात" किया गया था, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिसूचना के साथ पढ़ी जाने वाली बाद की धारा 20, यह भी इंगित करती है कि भले ही यह प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम में है, लेकिन शब्दों में उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए सामान "बॉन्ड में निर्यात किए गए सामान" शामिल हैं। विचाराधीन धारा 20 के पहले और बाद में स्थिति यह थी कि उत्पाद शुल्क बांड के तहत भी निर्यात किए गए सामान को कवर किया गया था, यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान विधानमंडल ने प्रस्थान किया था।

श्री गांगुली ने आगे कहा कि पिछली धारा 20 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उत्पाद शुल्क बांड के तहत निर्यात किए गए माल के मामलों में सीमा शुल्क।

उस उत्पाद शुल्क के बराबर देय होगा जिसका भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना द्वारा भी, बाद की अवधि के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि पुनः आयात पर जो भुगतान करना होगा वह उत्पाद शुल्क की वह राशि है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, विचाराधीन अवधि के दौरान, विधानमंडल का यह इरादा नहीं हो सकता था कि समान वस्तुओं पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान किया जाए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्पाद शुल्क, जो देय होता, केवल रु. 9,21,627.48, जबकि देय सीमा शुल्क रु. 61,62,848.40. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह की व्याख्या धारा को अनुचित प्रस्तुत करेगी।

श्री गांगुली ने आगे कहा कि दी गई व्याख्या से समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एक्साइज रूल्स के नियम 12 या 13 के तहत माल का निर्यात किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि नियम 12 पार्टियों को पहले शुल्क का भुगतान करने के बाद छूट लेने की अनुमति देता है। उनका कहना है कि नियम 12 के तहत निर्यात किया गया सामान बिना किसी उत्पाद शुल्क के भुगतान के दोबारा आयात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लगातार माना जाता रहा है कि नियम 12 या 13 के तहत निर्यात करने वाले पक्षों के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि दी गई व्याख्या से समान स्थिति वाले

व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव होगा। उन्होंने कहा कि इस कारण से भी ऐसी व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए।

इन कार्यवाहियों में धारा 20 की शक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। चूँकि धारा की शब्दावली स्पष्ट है, न्यायालय इसकी यथास्थिति में व्याख्या करने के लिए बाध्य है। यह स्पष्ट किया गया है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई भेदभाव या कठिनाई उत्पन्न होती है। हम बस इतना कह रहे हैं कि यह वह मुद्दा नहीं है जो इस अपील में विचार के लिए उठता है।

इन परिस्थितियों में, हमें सीईजीएटी के फैसले में कोई कमजोरी नजर नहीं आती। हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अपील खारिज की जाती है। खर्चे के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी.

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।